

## प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.07.24

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में पर्युक्त 02 अदद चाकू व 01 अदद की-पैड मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा हत्या के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/24 धारा 103(1), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. शमशेर उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 जुम्न निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर व 2. मोहम्मद तारिक पुत्र स्व0 मोहम्मद आरिफ निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को घटना में प्रयुक्त 02 अदद चाकू व 01 अदद की-पैड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2024 को वादिनी मुकदमा के पति को अभियुक्तगण द्वारा पैसे के लेन-देने की बात को लेकर चाकू से मारकर हत्या कर देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व अपराधिक इतिहास-

1. शमशेर उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 जुम्न निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
  - I. मु0अ0सं0 241/24 धारा 103(1), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0 थाना राजघाट गोरखपुर
  - II. मु0अ0सं0 40 /23 धारा 188,269 भा0द0सं0 थाना राजघाट गोरखपुर
2. मोहम्मद तारिक पुत्र स्व0 मोहम्मद आरिफ निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
  - I. मु0अ0सं0 241 /24 धारा 103(1), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0 थाना राजघाट गोरखपुर

### बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद चाकू व 01 अदद की-पैड मोबाइल

### गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 पप्पू राय चौकी प्रभारी पाण्डेहाता थाना राजघाट गोरखपुर
3. उ0नि0 विकास कुमार यादव थाना राजघाट गोरखपुर
4. का0 फतेबहादूर गौतम थाना राजघाट गोरखपुर
5. का0 शिवभोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर